[1][नियम 80 : वार्षिक विवरणी

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि धारा 44 के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट है, इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 और 52 के अधीन कर संदाय करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए धारा 44 के अधीन यथानिर्दिष्ट **प्ररूप जीएसटीआर–9** में वार्षिक विवरणी को इलेक्ट्रानिक रूप से, ऐसे

---

1 अधिसूचना क्रमांक 30/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 30.07.2021 द्वारा नियम 80 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.08.2021)।

नियम 80 : वार्षिक विवरणी

(1) इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटीआर–9** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारा 44 की उप–धारा (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परन्तु धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर–9क** में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर संग्रह करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक **प्ररूप जीएसटीआर–9ख** में उक्त धारा की उप–धारा (5) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(3) ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति [A][उनके अलावा, जो धारा 35 की उपधारा (5) के परंतुक में निर्दिष्ट है], जिसकी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवर्त दो करोड़ रूपये से अधिक है, धारा 35 की उप–धारा (5) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अपने खातों को संपरीक्षित कराएगा और वह प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप जीएसटीआर–9ग** में संपरीक्षित वार्षिक लेखों तथा सम्यकतः प्रमाणित समाधान विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।

[B][**परन्तु** वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए, ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका कुल आवर्त 5 करोड़ रूपये से अधिक है, धारा 35 की उपधारा 5 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट अपने लेखाओं की संपरीक्षा करायेगा और वह संपरीक्षक वार्षिक लेखाओं की प्रति तथा उक्त वित्तीय वर्ष के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–9ग** में या सीधे सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से सम्यक्तः प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करेगा।

A अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

B अधिसूचना क्रमांक 79/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 15.10.2020 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 15.10.2020)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था –

"[C][बशर्ते कि हर पंजीकृत व्यक्ति जिसका कारोबार वित्तीय वर्ष 2018–19 में पांच करोड़ रूपये से अधिक रहा होगा, को अपने बही खातों की धारा 35 की उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट रूप से लेखा परीक्षा/परीक्षित करानी होगी और वह उस लेखा परीक्षा/परीक्षित वार्षिक बही खाते की एक प्रति, विधिवत अभिप्रमाणित हो, वित्तीय वर्ष 2018–19 के **प्ररूप जीएसटीआर–9ग** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से, चाहे सीधे हो या चाहे आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।]"

C अधिसूचना क्रमांक 16/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित किया गया था (प्रभावशील दिनांक 23.03.2020)।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आगामी 31 दिसम्बर को या उससे पहले, सीधे ामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम, से प्रस्तुत करेगाः

परन्तु धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर–9क** में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगे।

[2]**[(1क)** उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2020–2021 के स्थान पर उक्त वार्षिक विवरणी 28 फरवरी, 2022 पर या पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।**]**

[3]**[(1ख)** उपनियम (1) में ंअंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के लिए जिनके कारोबार का मूल स्थान तमिलनाडु राज्य में चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुनेलवेली, तेनकासी, कन्याकुमारी, थूथुकुडी और विरुधुनगर जिले मे है, के लिए वित्तीय वर्ष 2022–2023 के स्थान पर उक्त वार्षिक विवरणी 10 जनवरी, 2024 पर या पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।

(2) धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर संग्रह करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक उक्त धारा की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी **प्ररूप जीएसटीआर–9ख** में प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि धारा 44 के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट है, इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 और 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और, अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न है, जिनक वित्तीय वर्ष के दौरान संकलित आवर्त पांच करोड़ रूपए से अधिक हैं, सीधे सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सेवा केन्द्रों के माध्यम से, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आगामी 31 दिसम्बर को या उससे पहले, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी के साथ धारा 44 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट स्वप्रमाणित समाधान विवरणी **प्ररूप जीएसटीआर–9ग** को भी दाखिल करेगा।**]**

[4]**[(3क)** उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2020–2021 के स्थान पर उक्त स्व–प्रमाणित समाधान विवरण 28 फरवरी, 2022 पर या पूर्व उक्त वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।**]**

[5]**[(3ख)** उपनियम (3) में ंअंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के लिए जिनके कारोबार का मूल स्थान तमिलनाडु राज्य में चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुनेलवेली, तेनकासी, कन्याकुमारी, थूथुकुडी और विरुधुनगर जिले मे है, के लिए वित्तीय

---

[2] अधिसूचना क्रमांक 40/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा उपनियम (1क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 29.12.2021)।

[3] अधिसूचना क्रमांक 02/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.01.2024 द्वारा उपनियम (1ख) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2023)।

[4] अधिसूचना क्रमांक 40/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा उपनियम (3क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 29.12.2021)।

[5] अधिसूचना क्रमांक 02/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.01.2024 द्वारा उपनियम (3ख) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2023)।

वर्ष 2022–2023 के स्थान पर उक्त स्व–प्रमाणित समाधान विवरण 10 जनवरी, 2024 पर या पूर्व उक्त वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।]